East.—[illegible] of Puniya [illegible] Block from pillar No. 53 to pillar No. 65.

South.—Cut line of Puniya Khedi Forest block from pillar No. 65 to 80 and then southern boundary of compit. No. 459 between pillar No. 80 and 449.

West.—Cut line of Puniya Khedi Block from pillar No. 459 to 510 and then nallah up to pillar No. 42 which is the boundary between compit. No. 461 and 462.

TOTAL AREA

Village [illegible]—354.570 hectares Part I

Village [illegible]—90.161 hectares Part II

Forest Block Puniya Khedi 851.810 hectares Part III

Total 1296.541 hectares. or 12.96 sq. km.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 जून 1983

[illegible] प्रदेश शासन [illegible] विभाग की [illegible] क्रमांक 15-4-78-दस-2 दिनांक [illegible] 1976 द्वारा रातापानी अभयारण्य का गठन किया गया था. इस अभयारण्य के विस्तार के क्षेत्र में वन्य प्राणी का प्राकृतिक आवास एवं उनका बाहुल्य है एवं राज्य शासन के विचार से इस क्षेत्र में उनका संरक्षण एवं विकास आवश्यक [illegible] वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, सीहोर एवं रायसेन जिले [illegible] निर्दिष्ट क्षेत्र को नीचे बताए गए परिशिष्ट नं. 1 एवं परिशिष्ट नं. 2 के अनुसार एतद्द्वारा अभयारण्य घोषित करता है [illegible] उसे [illegible] के भोपाल वन मण्डल के रातापानी अभयारण्य में शामिल कर रातापानी अभयारण्य का विस्तार करता है.

परिशिष्ट 1

जिला—सीहोर

परिक्षेत्र—देहरी,

वन मण्डल—सीहोर वन मण्डल

अभयारण्य का नाम जिसमें यह निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल किया गया रातापानी अभयारण्य.

क्षेत्रफल—रक्षित वन 1 48.87 वर्ग किलोमीटर

आरक्षित वन 86.27 वर्ग किलोमीटर

कुल [illegible] 135.14 [illegible] किलोमीटर

सीमा विवरण

उत्तर.—कम्पार्टमेंट क. 416, 415, 406, 405, 404 पी. 101पी., 104 की बाहरी उत्तरी सीमा.

पश्चिम.—कम्पार्टमेंट क. पी. 106, पी. 114, पी. 115 की बाहरी पश्चिमी सीमा, 393 की बाहरी दक्षिणी सीमा 395 एवं पी. 118 की बाहरी पश्चिमी सीमा पी. 122 की बाहरी दक्षिणी सीमा.

दक्षिण.—पी. 122 की पूर्वी बाहरी सीमा पी. 118, 392 सी. पी. 121, 392 ए. पी. 123, पी. 124 पी., 125 पी., 128, 420, 423 की बाहरी दक्षिणी सीमा.

पूर्व.—कम्पार्टमेंट क. 423, 424 की पूर्वी बाहरी सीमा कम्पार्टमेंट क. 424 की बाहरी उत्तरी सीमा, 426 की बाहरी उत्तरी पूर्वी सीमा, 419, 418, 415, 417 ए. एवं 416 ए. की पूर्वी बाहरी सीमा जो भोपाल वन मण्डल के रातापानी अभयारण्य के कम्पा. क्र. 940 एवं 942 के पश्चिमी बाहरी सीमा से जुड़ जाती है.

नोट.—कम्पार्टमेंट क्र. पुराने कार्य आयोजना अनुसार है.

परिशिष्ट 2

जिला—रायसेन

वन मण्डल का नाम—भोपाल

परिक्षेत्र का नाम—दाहोद

अभयारण्य का नाम जिसमें यह निर्दिष्ट क्षेत्र सम्मिलित किया गया—रातापानी अभयारण्य.

क्षेत्रफल (स्क्वायर मीटर)—23.65 वर्ग किलोमीटर.

सीमा विवरण 2

उत्तर.—[illegible] क. पी. [illegible] 302 की उत्तरी बाहरी सीमा, पी. 923 की उत्तरी पूर्वी बाहरी सीमा, पी. 922, पी. 914, पी. 913, पी. 912, पी. 909 की पूर्वी बाहरी सीमा, पी. 908 की उत्तरी पूर्वी बाहरी सीमा, पी. 898 पी. 894 की पूर्वी बाहरी सीमा, पी. 894, पी. 895, पी. 896 की उत्तरी बाहरी सीमा. 898

पश्चिम.—पी. 900, पी. 903, पी. 905, पी. 918, पी. 919, की बाहरी पश्चिमी बाहरी सीमा. कोलार नदी जो कम्पा. क्र. पी. 926, पी. 927, पी. 936, पी. 930, पी. 937 की बाहरी पश्चिमी सीमा बनाती है.

दक्षिण.—कम्पा. क्र. पी. 937, पी. 936, पी. 938, पी. 939 की बाहरी दक्षिणी सीमा जो सीहोर जिले की सीमा बनाती है एवं सीहोर वन मण्डल के कम्पा. क्र. 404, 405, 406 एवं 416 की उत्तरी सीमा बनाती है.

पूर्व.—[illegible] देहरी [illegible] डब्ल्यू. बी. रोड जो रातापानी अभयारण्य की सीमा बनाती है. विस्तारित क्षेत्र रातापानी अभयारण्य की सीमा में वहां मिल जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

190

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क्र. 2409-दस-2-83.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. 2409-दस-2-83, दिनांक 4 जून 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 4th June 1983

No. 2409-X-2-83.—Vide this department's notification No. 15-4-76-X-2, dated 2nd July 1976 Ratapani Sanctuary was constituted. The area adjacent to this sanctuary has natural habitat for wildlife and wildlife is in good number in this area. State Government considers that protection and development of wildlife is very necessary in this area. Hence in exercise of the powers vested under section 18(1) of Wildlife Protection Act 1972 the State Government declares the specified area of Sehore and Raisen district as shown in the schedule I and II below as Sanctuary and this area is hereby attached with adjacent Ratapani Sanctuary of Bhopal Forest division and the area of Ratapani Sanctuary is hereby extended.

SCHEDULE I

District.—Sehore.

Range.—Rehti.

Forest Division.—Sehore

Name of the Sanctuary to which this specified area is attached.	Ratapani Sanctuary

Area.	Reserved Forest.	48.87 sq. km.
	Protected Forest.	86.27 sq km.
	Total:—	135.14 sq km.

Boundary Description I

North.—Outer northern boundary of Comptt. No. 416A, 415, 406, 405, 404, P 101 and P 104.

West.—Outer western boundary of Comptt. No. P 106, P114, P 115, outer southern boundary of comptt. No. 393 western outer boundary of Comptt. No. 395, P 118, outer southern boundary of P 122,

South.—Eastern outer boundary of Comptt. No. P 122, outer southern boundary of P 118, 392C, P 121, 392A, P 124, P 125, P 128, 420, 423.

East.—Eastern outer boundary of Comptt. No. 423, 424, Northern outer boundary of 424, outer north eastern boundary of 420, outer eastern boundary of 419, 418, 415, 417, A and 416 A which joins with the western outer boundary of Comptt. No. 940 and 942 of Ratapani Sanctuary, of Bhopal Forst Division.

Note. Comptt. Nos. are as per the old working plan.

SCHEDULE 2

District.—Raisen

Name of the Forest—Division. Bhopal

Name of the Range. Dahod.

Name of the Sanctuary. Ratapani Sanctuary. to which this specified area is attached.

Area (Planimetey). 23.65 sq. km.

135.14
23.65
158.79

Boundary description 2

North.—North Eastern outer boundary of Comptt. No. P 953, outer northen boundary of comptt. No. 301, 302, outer north eastern boundary of comptt. No. 923, outer eastern boundary of Comptt. No. P 922, P 914, P 913, P 912, P 909 north Eastern outer boundary of P 908, Eastern outer boundary of P 899, P 894, Northern outer boundary of P894 P 895 P 896.

West.—Western outer boundary of P 900, P 903, P 905, P 918, P 919, Kolar river which makes the outer western boundary of Comptt. No. P 927, P 928, P 930, P 937.

South.—Outer southern boundary of Comptt. No. P 937, P 936, P 938, P 939 which makes the Sehore district boundary and also the outer northern boundary of comptt. No. 404, 405, 406, and 417 of Sehore Forest division (See north boundary of schedule 1).

East.—Obedullaganj-Rehti P. W. D. road which is the boundary of Ratapani Sanctuary (Extended area joins the Ratapani Sanctuary boundary here).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

(191)
Singhori WLS

म0प्र0 शासन वन विभाग

:: अधिसूचना ::

क्रमांक/एफ/15-4-76/दस/2 :- चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शाई गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन एवं विकास हेतु, परिस्थिति की पशु वनस्पति, भू-भाग की संरचना प्राकृतिक एवं जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है । अतः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (वर्ष 1972 का क्रमांक 53) की धारा 26-अ(1)(ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए म0प्र0 शासन एतद् द्वारा अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से अभ्यारण सिंघोरी घोषित करता है :-

अनुसूची

जिला	:	रायसेन
तहसील	:	बरेली /सिलवानी
वनमंडल	:	ओबेदुल्लागंज
परिक्षेत्र	:	बाडी / जम्होरी
अभ्यारण्य का नाम	:	वन्य प्राणी अभ्यारण सिंघोरी
आरक्षित वन	:	277.302 वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	:	10.612 वर्ग कि.मी.
कुल क्षेत्रफल		287.914 वर्ग कि.मी.

..2...

192

<u>सीमाओं का विवरण :-</u>

उत्तर : वनमंडल रायसेन की सीमा रेखा ।

पूर्व : परिक्षेत्र सिलपानी की सीमा रेखा तथा कक्ष क्रमांक 246, पी. 710, पी 711, 247, 258, 264, 265 तथा 266 की सीमा रेखा ।

दक्षिण : कक्ष क्रमांक 266, पी-714, 269, 270, 271, पी-715, पी 716, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, पी 718, 282, पी-719, 285, 286, 287, तथा 288 की सीमा रेखा ।

पश्चिम : कक्ष क्रमांक 288, 287, 527, 528, 529, 524, 523, 522, 521, पी748, 520, 519, 518, 517, एवं 240 की सीमा रेखा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

वनमंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज	कलेक्टर रायसेन	अधीक्षक भिंपोरी अभ्यारण्य बाड़ी

(193)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. ई-1-52-2022-5-एक.—श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे (2013) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-53-2022-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. ई-1-56-2022-5-एक.—श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश्य शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

(194)

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1(ए)-87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 18 से 29 अप्रैल 2022 तक 12 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-17 अप्रैल 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022

क्र. एफ-15-01-2022-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत रातापानी अभयारण्य के गठन एवं विस्तार हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 जुलाई 1976 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15-04-76-दस-2 दिनांक 2 जुलाई 1976 में क्षेत्रफल 530.67 वर्ग कि. मी. (53066.56 हेक्टेयर) के स्थान पर वनक्षेत्र 532.286 वर्ग कि. मी. (53228.6 हेक्टेयर) पढ़ा जावे.

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2409-दस-2-83 दिनांक 04 जून 1983 के परिशिष्ट-1 रकबा 135.14 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 135.031 वर्ग कि. मी. (13503.1 हेक्टेयर) एवं परिशिष्ट-2 में क्षेत्रफल 23.65 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 155.748 वर्ग कि. मी. (15574.8 हेक्टेयर) पढ़ा जावे.

2. उपरोक्त संशोधन उपरान्त अभयारण्य की सीमाएं यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-22-2022-अठारह-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2022 जो कि म. प्र. राजपत्र (साधारण)